न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– **श्री लाखाराम, आर.ए.एस.**

राजस्व अपील संख्या :– **07/2019**

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोडेण्ट्स**
1. चैनी पुत्री वीरमाराम उम्र 50 वर्ष जाति मेघवाल निवासी नया मूढसर (कोठला) पटवार हल्का बोरचारणान, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।		1. सरपंच ग्राम पंचायत बोरचारणान 2. मगनाराम पुत्र सुखाराम 3. जगू पुत्र सुखाराम, जाति मेघवाल, निवासी मूढसर, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत, बोर चारणान, नामांतरकरण संख्या 112 दिनांक 11.10.1977

तारीख रजू:– 07/10/19

अधिवक्ताः– **1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट**

–::निर्णय::–

दिनांकः– 18/12/22

अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत, बोर चारणान, नामांतरकरण संख्या 112 का पेश कर निवेदन किया कि उतरदाता संख्या 1 ग्राम पंचायत बोरचारणान द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण पारित करने में भारी कानूनी व तथ्यों की भूल की है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट जो हिन्दू विधि से शासित हैं तथा हिन्दू धर्म में मेघवाल (भांभी) समुदाय से संबंध रखती है तथा अपीलांट अपनी पैतृक भूमि में हिन्दू विधि अनुसार सम्पति प्राप्त करने की अधिकारिणी है तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का पारीवारिक सजरा निम्न प्रकार से है।

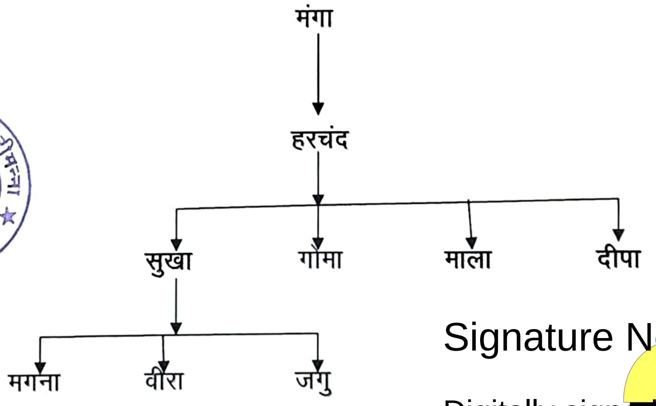

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.10 13:34:24 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के पैतृक खातेदारी की भूमि सेटलमेंट के समय ग्राम ... में खसरा नम्बर 90 रकबा 117–00 बीघा व खसरा नम्बर 131 रकबा 90–08 बीघा ... नम्बर 136 रकबा 08–00 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 72–08 बीघा खसरा नम्बर 145 रक... 5–14 बीघा किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 88 रकबा 0–04 बीघ्झा किसम गैर मुमकिन ढाणी व खसरा नंबर 89 रकबा 0–03 बीघा किस्म गैर मुमकिन लाटा कुल रकबा 303–17 बीघा की आई हुई थी, जिस पर भूमि र वक्त सेटलमेंट के समय हरचनद पुत्र मंगा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ, स्वर्गीय हरचन्द के फौत होने उक्त आराजी उनके वारीश चार पुत्र सुखा, गोमा, माला, दीपा के नाम दर्ज होनी थी हरचन्द फौत होने कुछ समय बाद फौतगी म्यूटेशन होने से पूर्व सुखा की फौत होने पर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

हरचन्द व सुखा का एक साथ ही म्यूटेशन संख्या 5 दिनांक 80.05.1961 को पारित किया गया जिसमें सुखा के तीन पुत्र मगना वीरा व जगु का नाम अमल दरामद हुआ इस प्रकार 303–19 बीघा में वीरा का 1/12 हिस्सा बनता है वीरा ने गुमनी से विवाह किया तथा गुमनी व वीरा के दाम्पत्य संबंध से अपीलांट चैनी पैदा हुई वीरा फौत होने पर उसके एक मात्र जीवित वारीस चैनी का नाम दर्ज होना था परंतु आलौच्य नामांतरकरण संख्या 112 में षड्यंत्र पूर्व चैनी की जगह रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 का नाम दर्ज करवा दिया जिन्होंने बाद में बंटवाड़ा करवा कर सुखा के हिस्से में वर्तमान खसरा संख्या 131/5 रकबा 06–05 बीघा, खसरा नम्बर 131/6 रकबा 14–05 बीघा, खसरा नम्बर 136 रकबा 08 बीघा, खसरा नम्बर 142/5 रकबा 05–01 बीघा, खसरा नम्बर 142/6 रकबा 12–12 बीघा कुल रकबा 46–12 बीघा जो नया मूढसर राजस्व ग्राम में तथा खसरा नम्बर 90/6 रकबा 23–00 बीघा कुल रकबा 29–06 बीघा राजस्व ग्राम मूढसर में आई हुई है इन दोनों राजस्व ग्रामों में सुखा के 1/4 हिस्सा की भूमि रकबा 75–18 बीघा जो गोमा, माला, दीपा से बंटवाड़ा करवा कर अपीलांट के चाचा मगना व जगु ने अपने नाम से अलग करवा ली है जिसमें अपीलांट का अपने पिता वीरा के 1/3 हिस्से की भूमि में नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है इस प्रकार आलौच्य नामांतरकरण द्वारा अपीलांट अपने पैतृक हक हिस्से से महरूम हो गई इसलिए आलौच्य नामांतरकरण अपास्त किए जाने योग्य है। स्वर्गीय वीरा पुत्र सुखा के फौत होने पर उनके विधिक वारिशान अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना था परंतु उत्तरदाता संख्या 2 से 3 ने षड्यंत्र पूर्वक अपीलांट का नाम वीरा के वारिशों के रूप में नहीं बताया जिससे अल्का पटवारी ने भरे गए म्यूटेशन में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया तथा हल्का पटवारी द्वारा म्यूटेशन में की गई रिपोर्ट में लिखा है कि वीरा के फौत होने पर इसके औलाद एवं औरत नहीं होने से इसके भाइयों के नाम लिखा गया है जिसको ग्राम पंचायत ने बिना कोई ग्राम सभा उक्त वावादास्पद नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया जबकि वीरा के विवाहिता पत्नी गुमनी थी तथा गुमनी व वीरा के दाम्पत्य संबंधों से जन्मी अपीलांट जीवित विधिक वारिश थी इस प्रकार रेस्पोडेंट द्वारा षडयंत्र पूर्वक गलत सूचना देकर आलौच्य नामांतरकरण पारित करवाया। अपीलांट ने उत्तरदाता संख्या 2 व 3 सगे चाचा होने से कभी भी संदेह नहीं किया कि अपीलांट का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है आज से एक माह पूर्व ऑनलाइन जमाबंदी में अपीलांट का नाम नहीं आने पर हल्का पटवारी से पूछताछ की तब अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं होने की जानकारी हुई तब अपीलांट द्वारा विवादग्रस्त नामांतरकरण की नकल मांगी नामांतरकरण संख्या 112 की नकल दिनांक 17.09.2019 को प्राप्त हुई तो अपीलांट को सर्व प्रथम आलोच्य नामांतरकरण की जानकारी हुई जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील श्रीमान् जी के समक्ष पेश की जा रही है। अपीलांट द्वारा उक्त आलौच्य आदेश के विरुद्ध अपील के निम्न आधार है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट का नाम नहीं है जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में अपीलांट स्वर्गीय वीरा की जायदा पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधीनियम के धारा 6 व 8 के अनुसार हिन्दू पुत्र पुत्रियां जन्म से अपने पिता के सम्पत्ति में प्रथम श्रेणी की वारिश के रूप में पैतृक सम्पत्ति की हकदार हो जाती है इस प्रकार अपीलांट के जन्म के साथ ही हक हिस्सा उत्पन्न हो जाने से उपरोक्त नामांतरकरण अपीलांट का नाम दर्ज नहीं करने से अपीलांट के हक हिस्से तक शुरू से ही शून्य होने से निरस्त योग्य हैं इसलिए आलौच्य आदेश को अपास्त किया जावे। वीरा के फौत होने पर नामांतरकरण में हल्का पटवारी के नोट के अनुसार वीरा के फौतगी के चार वर्ष बाद गलत सूचना द्वारा औलाद व औरत नहीं होने का इंद्राज कर दर्ज किया गया जो गलत होने से नामांतरकरण निरस्त योग्य है। विवादग्रस्त नामांतरकरण संख्या 112 किस तिथि को पारित किया गया है जो स्पष्ट नहीं है तथा उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा पारित आदेश में स्टाम्प का अभाव है तथा उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध होने से ही शून्य होने से अपास्त योग्य है। आलौच्य नामांतरकरण संख्या 112 में भारी अनियमितता तथा अर्थ दण्ड की कार्यवाही दर्ज नहीं होने से तथा धारा 134 आर.एल.आर. एक्ट के तहत तीन वर्ष के विलम्ब का पेनल्टी राशि का इंद्राज नहीं होने से तकनिकी रूप से प्रथम दृष्ट्या निष्प्रभावी व शून्य है। उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व फौत वीराराम के विधिक वारीशों की बिना जांच किए हल्का पटवारी द्वारा षड्यंत्र व धोखाधड़ी से भरे गए म्यूटेशन को हूबहू पारित करना अवैधानिक होने से अपीलांट के हको के प्रति नल एवं वौईड होने से इसके पश्चात् उक्त आराजी के संबंध में की गई परिविष्ठियां शून्य होने से निरस्त होने योग्य है। इस प्रकार उपरोक्त आधारों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.10 13:34:24 IST
Reason: SelfAttested

13/12/22
खण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट चैनी एक अनपढ़ महिला है जिसको इस आलौच्य आदेश की जानकारी नहीं हो सकी आज से दो माह पूर्व अपीलांट द्वारा ऑनलाईन जमाबंदी में नाम नहीं आने से अपीलांट द्वारा हल्का पटवारी से पूछताछ की तब विवादग्रस्त आराजी में अपीलांट का नाम नहीं होने की जानकारी हुई तब अपीलांट द्वारा उक्त विवादग्रस्त नामांतरकरण की नकले मांगी जो दिनांक 17.09.2019 को नकले प्राप्त हुई तब आलौच्य आदेश की जानकारी होने से जानकारी की तिथि से अन्दर मयाद अपील पेश की जा रही है। ु रि भी विकल्प के रूप में धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र विलम्ब शमन हेतु पेश है। विवादग्रस्त भूमि में ग्राम पंचायत बोरचारणान में स्थित होने के कारण संरपंच ग्राम पंचायत बोरचारणान को पक्षकार बनाया गया है। अपील पर निर्धारित न्याय शुल्क 5/– का मुद्रांक पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार कर उत्तरदाता संख्या 1 ग्राम पंचायत बोरचारणान द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 112 दिनांक 11.10.1977 को निरस्त किए जाने का आदेश फरमाते हुए वर्तमान उपरोक्त सभी खसरों की भूमि पुनः अपीलांट के पक्ष में इंद्राज करने हेतु अपीलांट के पक्ष में नामांतरकरण पारित किए जाने का आदेश फरमावे।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा एक अपील नामांतरकरण संख्या 112 दिनांक 11.10.1977 को ग्राम पंचायत बोरचारणान द्वारा पारित किया के विरुद्ध धारा 75 आर एल आर एक्ट के तहत पेश की गई उक्त अपील म्यूटेशन की जानकारी से अन्दर म्याद पेश की गई परंतु म्यूटेशन पारित होने की तिथि से म्याद से बाहर होने से विलम्ब के समन हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अपीलांट एक अनपढ़ एवं वृद्ध महिला है जो अपने पिता वीरा की फौतगी म्यूटेशन के समय हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत द्वारा वीरा की जगह अपीलांट का नाम दर्ज करना था परंतु उपरोक्त आलौच्य नामांतरकरण द्वारा वीरा को लाऔलाद बताते हुए उनके भाइयों के पक्ष में पारित किया गया परंतु मौके पर वीरा के कब्जा काश्त की भूमि अपीलांट द्वारा काश्त एवं निवास करती आ रही थी तथा अनपढ़ होने से कभी राजस्व रेकर्ड को देखने की आवश्यकता नहीं पड्त्री एक माह पूर्व हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करवाने हेतु मुनायदी की गई तब अपीलांट द्वारा अपने पिता की भूमि के बारे में पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि अपीलांट का नाम भूमि में इंद्राज नहीं है तब अनी पैतृक भूमि का राजस्व रेकर्ड नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया तथा राजस्व रेकर्ड प्राप्त होने पर दिनांक 17.09.2019 को अपने अधिवक्ता नियुक्त कर जानकारी प्राप्त करने पर उक्त आलौच्य नामांतरकरण की जानकारी हुई इस प्रकार विधि विरुद्ध व शून्य आदेश को निरस्त करवाने हेतु विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा पेश धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील पत्र अंदर म्याद सुमार की जावे।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टान को जरिए रजि. डाक से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 03 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किया गया।

हमने पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस को ध्यानपूर्व सुनते हुए इस पर मनन किया ... का बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.10 13:34:24 IST
Reason: SelfAttested

1. अपीलांट चैनी द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध अपील अंतर्गत धारा–75 ... भू–राजस्व अधिनियम–1956, प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नया मूढसर एवं मूढसर की वादग्रस्त आराजी पैतृक–पुश्तैनी होने तथा खातेदार वीरा की एकमात्र संतान हो... के बावजूद पिता वीरा के फौत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं 03 द्वारा अपने आप को वीरा के वारिसान बताकर 1977 में ग्राम पंचायत बोरचारणान एवं हल्का पटवारी द्वारा मृतक वीरा के वारिसान की जांच किए बिना 11.10.1977 को वीरा के विरासत का म्यूटेशन संख्या 112 स्वीकृत करवा कर, राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं 03 द्वारा अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज

13/12/2...
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

करवा दिया। म्यूटेशन संख्या 112 में खातेदार वीरा को लाऔलाद एवं बिना औरत के फौत बताकर मृतक वीरा की आराजी को उसके भाइयों मगना एवं जगू के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवा दी। जबकि वीरा के विवाहिता पत्नी गुमनी थी एवं उनके एकमात्र संतान चैनी थी। उक्त म्यूटेशन संख्या 112 गलत एवं विधि विरुद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य है।

2. अपीलांट द्वारा भू–अभिलेख में अपना नाम नहीं होने की जानकारी दिनांक 17.09.2019 को होने तथा विलंबकाल को माफ करने के लिए धारा 05 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि चूंकि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का जन्म से हक निहित है क्योंकि वह अपने मृतक पिता एवं काश्तकार वीरा की एकमात्र संतान है तथा साथ ही वह अनपढ़, वृद्ध महिला है अतः विलम्बकाल को माफ किया जावे।

हम हस्तगत प्रकरण का निर्णयन निम्नानुसार बिन्दूवार करना उचित समझते हैं :–

1. हम प्रकरण को सर्वप्रथम म्याद के विषय पर निर्णीत करना आवश्यक समझते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन एवं नामांतरकरण संख्या 112 के अध्ययन से स्पष्ट है कि कॉलम 14 में यह प्रविष्टि अंकित है कि "वीरा को फौत हुए करीब तीन–चार वर्ष हो चुके है इसके औलाद व औरत नहीं होने से इसके भाइयों के नाम दर्ज लिखा गया है" तथा कॉलम संख्या 11 में वीरा के भाइयों के नाम अंकन करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत– बोर चारणान द्वारा नामांतरण स्वीकृत किया गया। जबकि नामांतरण संख्या 112 के कॉलम संख्या 05 में गोमा, माला, दीपा पि. हरचंद मगना, वीरा, जगू पि. सूखा कौम भांभी सा. देह खातेदार की प्रविष्टि अंकित है। अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र पर यह स्पष्ट किया है कि मृतक वीरा की वह एकमात्र संतान एवं वारिसान है। अतः यह स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत बोर चारणान एवं संबंधित पटवारी तथा भू.अ. निरीक्षक द्वारा वारिसान की जांच किए बिना तथा विधिक प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन किए बिना नामांतरण स्वीकृत किया गया जो विधि की दृष्टि से आरंभतः शून्य है तथा ऐसी दशा में म्याद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना विधि और विधिक प्रक्रिया की प्राथमिक आवश्यकता है। अपीलांट द्वारा ग्रामीण अनपढ़ वृद्ध महिला होने तथा उसके द्वारा संबंधित पटवारी से दिनांक 17.09.2019 को वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड प्राप्त करने एवं स्वयं का नाम भू–अभिलेख में दर्ज नहीं होने की जानकारी होने के आधार पर विलम्बकाल को माफ किए जाने के निवेदन को स्वीकार करना हम कानूनन उचित समझते हैं क्योंकि विधि और विधिक प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य यह होता है कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए तथा प्रक्रियागत प्रावधान निर्णय में साधन के रूप में होते हैं न कि स्वयं साध्य के रूप में। अतः अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम बखूबी साबित होने से एवं विधि संगत होने से स्वीकार किया जाना हम आवश्यक एवं उचित समझते हैं।

2. मूल प्रकरण के संबंध में हमने नामांतरकरण संख्या 05 दिनांक 08.05.1961 का अवलोकन किया। साथ ही हमने खतौनी "बंदोबस्त संवत् 2012–2031 ग्राम–कोठला, तहसील–बाड़मेर (तत्कालीन) का अवलोकन किया। खतौनी बंदोबस्त/मिसल बंदोबस्त के अध्ययन से खसरा सं. 90, 131, 136, 142, 145 रकबा क्रमशः 117-00, 90-08, 08-00, 72-08, 15-14 बीघा किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी [illegible] सोयम एवं खसरा सं. 88, 89 रकबा कमशः 0–04, 0–03 बीघा किस्म [illegible] कुल रकबा 303–17 बीघा आराजी का खातेदार [illegible] सा. देह खातेदार" की प्रविष्टि अंकित है। म्यूटेशन संख्या 05 दिनांक [illegible].1961 जो कि खातेदार हरचंद एवं हरचंद के पुत्र सुखा, दोनों के फौत होने के उपरांत [illegible]रित किया गया। उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि हरचंद के 04 पुत्र कमशः गोमा, माला, दीपा, सुखा थे तथा सूखा के पुत्र क्रमशः मंगना, वीरा, जगू थे। अतः खतौनी बंदोबस्त एवं म्यूटेशन सं. 05 से स्पष्ट है कि वीरा को प्राप्त आराजी पैतृक पुश्तैनी है। हमने म्यूटेशन संख्या 112 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर
Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.10 13:34:24 IST
Reason: SelfAttested
13/2/22
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

11.10.1977 का अध्ययन किया इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त नामांतरकरण खातेदार वीरा की फौतगी के उपरांत भरा गया।

हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा शपथ–पत्र पर यह कथन किए हैं कि वह मृतक खातेदार वीरा पुत्र सुखा की एकमात्र जीवित वारिस है। जबकि म्यूटेशन सं. 112 की प्रविष्टि के अनुसार खातेदार वीरा के औलाद व औरत नहीं होने से भाइयों मंगना, जगू पि. सुखा के पक्ष में म्यूटेशन ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र कथन किए हैं कि वीरा ने गुमनी से विवाह किया था तथा अपीलार्थी गुमनी व वीरा के दाम्पत्य संबंध से पैदा हुई है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा 08 के विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलांट चैनी मृतक वीरा की एकमात्र प्रथम श्रेणी की वारिसान थी, जिसके पक्ष में म्यूटेशन स्वीकृत किया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा न कर सारवान त्रुटि कारित की है। इसके साथ ही म्यूटेशन सं. 112 की प्रविष्टि से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 112, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लिए बिना तथा प्रस्ताव की प्रविष्टि किए बिना केवल सरपंच के द्वारा स्वीकृत किए जाने का उल्लेख है जिसके लिए ग्राम पंचायत सक्षम है न कि केवल सरपंच। अतः सरपंच ग्राम पंचायत बोर चारणान द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 112 सारभूत एवं प्रकियागत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरुद्ध होने से इसे अपास्त किया जाना कानूनन उचित है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ग्राम–कोठाला, (वर्तमान पटवार क्षेत्र– बोर चारणान) के नामांतरण सं. 112 विधि विरुद्ध होने तथा प्रक्रियागत त्रृटिपूर्ण होने से अपास्त घोषित किया जाना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं, तथा हस्तगत प्रकरण को तहसीलदार धोरीमन्ना को प्रतिप्रेषित करना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा–75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम–1963, भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलम्ब काल को माफ किया जाता है। ग्राम– कोठाला के नामांतरण सं. 112 में प्रश्नगत आराजी खसरा सं. क्रमशः 90, 131, 136, 142, 145 रकबा क्रमशः 117–00, 90–08, 08–00, 72–08, 15–14 बीघा किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम एवं खसरा सं. 88, 89 रकबा क्रमशः 0–04, 0–03 बीघा किस्म क्रमशः गै.मु. ढाणी, गै.मु. लाटा कुल रकबा 303–17 बीघा का म्यूटेशन सं. 112 विधि विरुद्ध होने तथा प्रकियागत त्रुटिपूर्ण होने से इसे अपास्त किया जाता है। हस्तगत प्रकरण तहसीलदार, धोरीमन्ना को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक वीरा के वारिसान की जांच करते हुए विधिसंगत नामांतरण स्वीकृत करें। तहसीलदार धोरीमन्ना को तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

13/12/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.10 13:34:24 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 13/12/22 को सरे ईजलास सुनाया गया।

13/12/22

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर।